

आदेश

जनपद अल्मोड़ा में तहसील तहसील रानीखेत अन्तर्गत पाथुली से गैराड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दोगुनी सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दिया जाना है। जिस हेतु ग्राम गैराड़ के ख0खा0सं0 104/33 में 4.551 हैक्टर भूमि, ग्राम थकुलाडी के ख0खा0सं0 40 में 1.936 हैक्टर भूमि एवं ग्राम सिमोली के ख0खा0सं0 165/23 में 2.989 हैक्टर भूमि उक्त ग्रामों में श्रेणी 9(3)ड की भूमि चयनित की गई है। मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाली 4.738 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेफल की कुल-9.476 हैक्टर सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रारूप 2 में संयुक्त रूप से तहसीलदार रानीखेत, संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा दिनांक 27.07.2018 में संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार अग्रसारित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, अल्मोड़ा, के पत्रांक संख्या-867/वन भूमि दिनांक 28-07-2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवत: अभिलेखों सहित क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दिनांक 11.03.2015 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप-2, की आख्या सहित वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड देहरादून, के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/147/2015/एफ0सी0/2198, दिनांक: 15-03-2018 के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु ग्राम-गैराड़ राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र-ताडीखेत, तहसील रानीखेत के श्रेणी 9(3)ड की गैर ज0वि0ख0खा0सं0 104/33 के खेत नम्बर 3126 रकवा 0.096 हैक्टर, खेत नं0 3129 रकवा 0.068 हैक्टर, खेत नं0 3131 रकवा 0.180 हैक्टर, खेत नं0 3152 रकवा 0.114 हैक्टर, खेत नं0 3309 रकवा 0.060 हैक्टर, खेत नं0 3310 रकवा 0.134 हैक्टर, खेत नं0 3312 रकवा 0.045 हैक्टर, खेत नं0 3313 रकवा 0.063 हैक्टर, खेत नं0 3314 रकवा 0.044 हैक्टर, खेत नं0 3390 रकवा 0.056 हैक्टर, खेत नं0 3391 रकवा 0.098 हैक्टर, खेत नं0 3393 रकवा 0.118 हैक्टर, खेत नं0 3394 रकवा 0.184 हैक्टर, खेत नं0 3395 रकवा 0.303 हैक्टर, खेत नं0 3397 रकवा 0.083 हैक्टर, खेत नं0 3399 रकवा 0.270 हैक्टर, खेत नं0 3400 रकवा 0.680 हैक्टर, खेत नं0 3401 रकवा 0.544 हैक्टर, खेत नं0 3402 रकवा 0.143 हैक्टर, खेत नं0 3405 रकवा 0.320 हैक्टर, खेत नं0 3432 रकवा 0.195 हैक्टर, खेत नं0 3433 रकवा 0.239 हैक्टर, खेत नं0 3434 रकवा 0.063 हैक्टर, खेत नं0 3480 रकवा 0.125 हैक्टर, खेत नं0 3481 रकवा 0.121 हैक्टर, खेत नं0 3484 रकवा 0.030 हैक्टर, खेत नं0 2 के मध्य 0.048 हैक्टर, खेत नं0 3485 रकवा 0.066 हैक्टर भूमि उक्त ग्राम के 28 खेत नम्बरानों की कुल 4.551 हैक्टर भूमि व ग्राम थकुलाडी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र-ताडीखेत, तहसील रानीखेत के श्रेणी 9(3)ड की गैर ज0वि0ख0खा0सं0 40 के खेत नम्बर 177 रकवा 0.399 हैक्टर, खेत नं0 218 रकवा 0.249 हैक्टर, खेत नं0 246 रकवा 0.044 हैक्टर, खेत नं0 254 रकवा 0.049 हैक्टर, खेत नं0 260 रकवा 0.118 हैक्टर, खेत नं0 261 रकवा 0.382 हैक्टर, खेत नं0 262 रकवा 0.115 हैक्टर, खेत नं0 263 रकवा 0.015 हैक्टर, खेत नं0 264 रकवा 0.120 हैक्टर, खेत नं0 265 रकवा 0.034 हैक्टर, खेत नं0 266 रकवा 0.469 हैक्टर भूमि उक्त ग्राम के 11 खेत नम्बरानों की 1.936 हैक्टर भूमि एवं ग्राम सिमोली राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र-ताडीखेत, तहसील रानीखेत के श्रेणी 9(3)ड की गैर ज0वि0ख0खा0सं0 165/23 के खेत नम्बर 1858 रकवा 0.184 हैक्टर, खेत नं0 1859 रकवा 0.242 हैक्टर, खेत नं0 1860 रकवा 0.181 हैक्टर, खेत नं0 1863 रकवा 0.165 हैक्टर, खेत नं0 1864 रकवा 0.261 हैक्टर, खेत नं0 1865 रकवा 0.143 हैक्टर, खेत नं0 1866 रकवा 0.182 हैक्टर, खेत नं0 1867 रकवा 0.302 हैक्टर, खेत नं0 1868 रकवा 0.411 हैक्टर, खेत नं0 1869 रकवा 0.254 हैक्टर, खेत नं0 1870 रकवा 0.232 हैक्टर, खेत नं0 1871 रकवा 0.176 हैक्टर, खेत नं0 1872 रकवा 0.239 हैक्टर, 1873 रकवा 0.020 हैक्टर, भूमि उक्त ग्राम के 14 खेत नम्बरानों की 2.989 हैक्टर भूमि इस प्रकार तीनों ग्रामों की कुल 9.476 हैक्टर भूमि को क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार ही क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार रानीखेत उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

(नितिन सिंह भदौरिया)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 5454/ग्यारह-20/2017-18, दिनांक: 04 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3- संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।
- 5- तहसीलदार, रानीखेत को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(नितिन सिंह भदौरिया)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

ग्रा. अ. १५० खेती नं
 ग्रा. - सिमौली व तासखेटा तहसील
 कोटी १(३) ड. व. काचिला भावाद :-

क्रमांक	खेत/का	ड	गा.अ.	खेती	लेख	विवरण
165/23	पेठा का आ * *		1	०.१३१	लेखापत्र	मापालुप मालाजि कारी मलेठप
			10	०.०५५	✓	मालाजि व आ.अ. ५५५५ म.प.ए. - २०/१२/१७-१८
			40	०.०१५	✓	दि. ५-८-२०/१८ व. म.प.ए. मालाजि व म.प.ए. मालाजि
			41	०.०२५	✓	आ.अ. १६५/२३ व. म.प.ए. १८५८ खेती ०.१८५ व. म.प.ए.
			43	०.०५५	✓	१८५९ खेती ०.२५२ व. म.प.ए. १८६० खेती ०.१८१ व. म.प.ए.
			कटौती			१८६३ खेती ०.१६५ व. म.प.ए. १८६४ खेती ०.२६१ व. म.प.ए.
						१८६५ खेती ०.१५३ व. म.प.ए. १८६६ खेती ०.१८२ व. म.प.ए.
						१८६७ खेती ०.३०२ व. म.प.ए. १८६८ खेती ०.५११
						१८६९ खेती ०.२५५ व. म.प.ए. १८७० खेती ०.२३२
						१८७१ खेती ०.१७६ व. म.प.ए. १८७२ खेती ०.२३९
						१८७३ खेती ०.०२० व. म.प.ए.
						खेती १५ व. २.९८९ खेती २५ व. २.९८९
						खेती २५ व. २.९८९ खेती २५ व. २.९८९
						खेती २५ व. २.९८९ खेती २५ व. २.९८९
						खेती २५ व. २.९८९ खेती २५ व. २.९८९
			१८५८	०.१८५	२०	
			१८५९	०.२५२	✓	
			१८६०	०.१८१	✓	
			१८६३	०.१६५	✓	
			१८६४	०.२६१	✓	
			१८६५	०.१५३	✓	
			१८६६	०.१८२	✓	
			१८६७	०.३०२	✓	
			१८६८	०.५११	✓	
			१८६९	०.२५५	✓	
			१८७०	०.२३२	✓	
			१८७१	०.१७६	✓	
			१८७२	०.२३९	✓	
			१८७३	०.०२०	✓	
			कटौती			
			१२५	०.०१०		
			५८७६			
			१२५	०.१५५		
			५८७९			
			१२५	०.५५५		
			५८८५			

मालाजि - ३२० २२.७७३

मालाजि खेती व. मालाजि
 राजस्व रूप निरीक्षक
 क्षेत्र
 तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा)

